[2022] 17 एस. सी. आर 759

/

सचिव, भूमि और निर्माण विभाग और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार।

बनाम

राम प्रकाश सहरावत और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 9201)

/

15 दिसंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013:धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना।4 एल. ए. अधिनियम को 23.01.1965 पर जारी किया गया था और पुरस्कार घोषित किया गया था-भूमि का कब्जा ले लिया गया था और डी. डी. ए. को 22.09.1986 पर सौंप दिया गया था-पुरस्कार पारित करने और कब्जा लेने के 29 साल की अवधि के बाद, प्रतिवादी 1 और 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की ताकि यह घोषित किया जा सके कि प्रश्न भूमि का अधिग्रहण एस. के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।24(2) अधिनियम, 2013-उच्च न्यायालय

/

/

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. पर भरोसा किया और घोषणा की कि

प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण एस के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।24(2) केवल इस आधार पर कि अभिलिखित मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःमामले में निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

/

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. अस्थिर हैं-पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के मामले में निर्णय जो लिया गया है।

आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था जिसे संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल के मामले में इस न्यायालय का

और अन्य-यह घोषणा करते हुए आक्षेपित निर्णय कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण एस के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।24(2) अधिनियम, 2013 को अलग रखा गया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

/

पुणे नगर निगम और अन्र. वि.हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

/

759

760 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस. सी. आर.

/

संदर्भित निर्णय

[2014] 1 एससीआर **783**

संदर्भित

पैरा **2**

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3.2**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 9201।

/

2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 4952 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.2015 के निर्णय और आदेश से।

अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, राहुल पांडे, अमिताभ रंजन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

/

विष्णु कांत, सत्य रंजन स्वैन, करण अरोड़ा, कौटिल्य ब्रियात, रबीन मजूमदार, सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, जॉयदीप मुखर्जी, सुश्री मौसमी रॉय, नंद राम, सुश्री मनिका त्रिपाठी, रोशन कुमार, मनीष वशिष्ठ, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. 2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 4952 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित किया गया है) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है, दिल्ली सरकार (भूमि और भवन विभाग) और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 23.01.1965 पर जारी की गई थी और पुरस्कार घोषित किया गया था, इसके बाद 19.09.1986 पर धारा 12 (2) नोटिस जारी किया गया था।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर जवाबी शपथपत्र के अनुसार, प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया और 22.09.1986 पर डी. डी. ए. को सौंप दिया गया।पुरस्कार पारित होने और कब्जा लेने के लगभग 29 वर्षों की अवधि के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को ए माना जाए।

/

/

761

दिल्ली एन. सी. टी. की सरकार सेसी., लैंड और लैंड के माध्यम से

निर्माण विभाग v.राम प्रकाश सहरावत [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत हुए हैं।आक्षेपित निर्णय और आदेश में, हालांकि उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलार्थियों की ओर से दायर जवाबी शपथपत्र का उल्लेख किया है, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था और डी. डी. ए. को सौंप दिया गया था, हालांकि, इसके बाद कब्जा लेने के प्रश्न में आगे प्रवेश किए बिना, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

/

निगम और एन. आर. बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य।

(2014) 3 एस. सी. सी. 183 में अभिलिखित और घोषित किया गया है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत केवल इस आधार पर व्यपगत माना जाता है कि अभिलिखित मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

/

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से यह मामला है कि प्रश्न भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया था और प्रश्न भूमि पर एक अवैध आवासीय कॉलोनी है जिसके लिए नियमितीकरण की कार्यवाही चल रही है और उच्च न्यायालय के समक्ष इसके लिए एक रिट याचिका लंबित है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह अपीलार्थियों की ओर से विशिष्ट मामला था और जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी शपथपत्र में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया था और डी. डी. ए. को 22.09.1986 पर सौंप दिया गया था, और इसलिए, अधिग्रहित भूमि का कथित कब्जा और मूल रिट याचिकाकर्ताओं की स्थिति और कुछ नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और गैरकानूनी अतिक्रमण है।3.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी, कब्जे की कार्यवाही को रिकॉर्ड पर रखा गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि अन्य भूमि के साथ प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया था और 22.09.1986 पर भूमि और भवन विभाग को सौंप दिया गया था।इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अनुसार, प्रश्न भूमि पर आवासीय कॉलोनी के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए 2005 की रिट याचिका संख्या 9366 अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।अर्थात्, मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 स्वीकार करते हैं कि प्रश्न

भूमि पर कब्जा और निर्माण अवैध है।उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि एक अवैध आवासीय कॉलोनी हो सकती है जिसमें कुछ अन्य व्यक्ति रह रहे हों।इसलिए, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2-मूल रिट याचिकाकर्ता प्रश्न भूमि के कब्जे में हैं और/या प्रासंगिक समय पर कब्जा नहीं लिया गया था।

/

/

/

/

/

762

/

[2022] 17 एस सी आर।

3.2 के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के मामले में यह न्यायालय ।

(सुप्रा**)** अस्थिर है।यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णय

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के मामले में यह न्यायालय ।

(उपर्युक्त**),** जिस पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है**,** को इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

/

प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और अन्य ने **(2020) 8** एस**.** सी**.** सी**. 129** में रिपोर्ट किया।

पैराग्राफ 365 और 366 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में देखा गया है और

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः- “365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में निर्णय दिया गया।[पुणे नगर निगम।v. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल

है।[पुणे नगर निगम।बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] का पालन किया गया है, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है।श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में निर्णय। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] को अच्छा विधि निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [(2018) 3 एस. सी. सी. 412] में, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था।इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

/

/

/

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए**,** हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

/

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से

पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

/

/

/

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा **24 (2)** के प्रावधान को धारा **24 (2)** के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए**,** न कि धारा **24 (1) (**बी**)** के हिस्से के रूप में।
366.7.1894 के अधिनियम के अंतर्गत कब्जा करने का तरीका और जैसा कि धारा **24 (2)** के अंतर्गत विचार किया गया है**,** जांच के माध्यम से है।

/

764

/

[2022] 17 एस सी आर।

रिपोर्ट/ज्ञापन।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। "

/

/

/

/

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका पर टिप्पणी किए बिना, 2005 की रिट याचिका संख्या 9366 होने के कारण, हमने 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 4952 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/